संख्या-05/2025/002-185-74-2-2025

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषयः-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के अन्तर्गत 01-वेतन मद में हो रही सम्भावित बचत से रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना के 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-618/सेरी0/लेखा/बजट अधि0पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 24 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रेशम निदेशालय के अन्तर्गत अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-01-वेतन मद में हो रही संभावित बचतों से धनराशि रू0 93.00 लाख (रूपये तिरानवे लाख मात्र) का अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना अन्तर्गत मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं -

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1- पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से किया जा रहा है। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जाये।
2- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य् निदेशक, रेशम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि 5स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा हैं।

8- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

9- स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दी शर्तों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

11- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

13- नोडल अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने के साथ-साथ संबंधित स्वीकृति आदेश के विवरण को बजट एलाटमेन्ट सिस्टम (budgetallot.up.nic.in) पर भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। इस प्रविष्टि के बाद ही संबंधित वित्त नियंत्रक के द्वारा अग्रेतर बजट एलाटमेन्ट की कार्यवाही की जा सकेगी।

14- वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित आदेशों को वेब साईट https://shasanadesh.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय।

15- प्रस्तावों में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रेशम का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के बचतों से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (व्यतय-नियंत्रण) अनुभाग-1 की सहमति से जारी किये जा रहें हैं। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 द्वारा बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र हेतु **आर0ई0संख्या-बजट-1-838, दिनांक 28.03.2025** को आवंटित की गयी है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 93.00 लाख (रूपये तिरानवे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक-2851001071100-43 रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना के मानक मद संख्या-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-05/2025/(1)185/74-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।